

संदिनांक 17/11/21 को पेश हों।

1 नं० 11/अ

पंचायती राज का अर्थ है एक सुनिश्चित
 प्रणाली की माध्यम से ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्य
 एवं अधिकार का संचालन करना है। यह कार्यवाही के
 माध्यम से ग्राम स्तर पर विकास एवं पंचायती राज
 प्रणाली के विकास में सहायता प्रदान करती है। ग्राम
 स्तर पर जो कोई कार्यवाही भी होनी चाहिए उसे ग्राम
 स्तर पर ही प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। ग्राम
 स्तर पर ही ग्राम विकास एवं ग्राम संचालन का
 धारा 195 के अन्तर्गत विहित की शर्तों पर
 किया जाता है। पंचायती राज का अर्थ निश्चित
 स्तर की जाकर ग्राम स्तर पर कार्यवाही करके
 ग्राम स्तर पर ही निर्णय सुले मजदूरी एवं
 प्रशिक्षण की माध्यम से सुनिश्चित करना।

Nuke Pooj
 HAD
 A

(नीता वसीटा)
 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

